भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3319

उत्तर देने की तारीख : 29.03.2023

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नवाचार और उद्यमिता कार्यक्रम

3319. **श्रीमती रंजीत रंजन:**
प्रो. मनोज कुमार झा:
श्री दिग्विजय सिंह:
श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) आज की तारीख तक इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय द्वारा शुरू किए गए व्यावसायिक उद्यमों और स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करने के लिए सोशल इनोवेशन हब आयोजित करने की कोई योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (च): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के मध्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा उनके लिए रियायती वित्त उपलब्ध कराने के वास्ते वित्तीय वर्ष 2014-15 में "अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)" तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में "पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-बीसी)" शुरू की है (परंतु एसईबीआई विनियमों के अनुसार कोष को शुरू करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से न्यूनतम योगदान प्राप्त करने के पश्चात वीसीएफ-बीसी स्कीम 01 अक्तूबर, 2019 से संचालनरत है)। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएण्डई) ने एससी छात्रों/युवाओं (एससी युवा महिलाओं सहित) के मध्य उद्यमिता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वीसीएफ-एससी के अंतर्गत 30 सितंबर, 2020 को "अंबेडकर सामाजिक नवाचार इंक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)" शुरू किया है। यह स्कीमें प्रचालनरत हैं तथा पूरे देश में प्रवृत्त हैं।

इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:

- **<u>वीसीएफ-एससी का ब्यौरा:</u>**
  - **वर्तमान समग्र निधि:** वर्तमान वीसीएफ-एससी की समग्र निधि 718.18 करोड़ रूपए है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 644.22 करोड़ रूपए है तथा आईएफसीआई लिमिटेड का योगदान 73.96 करोड़ रूपए है।
  - **उद्देश्य**: परियोजनाओं/इकाइयों में निवेश के माध्यम से नियोजित निधियों से परिसंपतियों का निर्माण सुनिश्चित करना।
  - **संक्षिप्त आधारिक पात्रता**:
    - स्टार्ट-अप सहित विनिर्माण, सेवा तथा संबंद्ध क्षेत्रों में स्थापित की जा रही तथा नियोजित निधियों से परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाली परियोजनाओं/इकाइयों पर विचार किया जाएगा;
    - परियोजना कंपनी की न्यूनतम विद्यमानता: 6/12 माह से संचालनरत;
    - शेयरधारिता संबंधी मानदण्ड:

    ✓ *प्रबंधन नियंत्रण के साथ एससी उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% हितधारिता वाली कंपनियां अथवा;*

    ✓ *एक ऐसी नई कंपनी जो ठोस व्यवसाय मॉडल के उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा करने वाली सफल बिजनेस इकाई हो।*
  - **कंपनी में निवेश का आकार:** 0.10 करोड़ रुपए से 15.00 करोड़ रुपए तक। कुल मिलाकर आर्थिक सहायता कंपनी के कुल वर्तमान कारोबार से दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - **वित्तीय सहायता**
    - 5 करोड़ रुपए तक - परियोजना लागत का 75% तक
    - 5 करोड़ रुपए से अधिक - परियोजना लागत का 50% तक
    - सरकारी सब्सिडी के मामले में: संप्रर्वतकों को परियोजना लागत का कम से कम 15% योगदान करना होगा।
  - **रिटर्न:** प्रति वर्ष 4% (महिला/दिव्यांग एससी उद्यमियों के लिए 3.75%)
  - **कंपनी में निवेश की अवधि:** 36 माह के ऋण अधिस्थगन काल सहित 10 वर्ष तक की अवधि।

- **<u>वीसीएफ-एससी के अंतर्गत एएसआईआईएम का ब्यौरा:</u>**
  - **संक्षिप्त आधारिक पात्रता**:
    - डीएसटी तथा भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य इंक्यूबेशन केंद्रों द्वारा संवर्धित किए जा रहे टीबीआई, अटल इंक्यूबेशन केंद्रों, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा चिन्हित युवा।
    - शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अथवा स्मार्ट इंडिया हॉडवेयर हैकाथॉन के अंतर्गत पुरस्कृत छात्र।
    - समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केन्द्रित नवोन्मेषी विचारवान व्यक्ति।
    - कॉरपोरेट द्वारा सीएसआर निधियों के माध्यम से नामित तथा समर्थित स्टार्ट-अप्स।
  - **कंपनी में निवेश का आकार:** एक कंपनी में अधिकतम 30 लाख रुपए तथा एक वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- **कंपनी में निवेश की अवधि:** 10 वर्ष तक।

- **<u>वीसीएफ-बीसी का ब्यौरा:</u>**
  - **वर्तमान समग्र निधि:** वर्तमान वीसीएफ-बीसी की समग्र निधि 131.75 करोड़ रूपए है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 126.42 करोड़ रूपए है तथा आईएफसीआई वेंचर केपिटल फंड लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड का सहायक कार्यालय) का योगदान 5.33 करोड़ रूपए है।
  - **उद्देश्य**: परियोजनाओं/इकाइयों में निवेश के माध्यम से नियोजित निधियों से परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना।
  - **संक्षिप्त आधारिक पात्रता**:
    - स्टार्ट-अप सहित विनिर्माण, सेवा तथा संबंद्ध क्षेत्रों में स्थापित की जा रही तथा नियोजित निधियों से परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाली परियोजनाओं/इकाइयों पर विचार किया जाएगा;
    - परियोजना कंपनी की न्यूनतम विद्यमानता: 6/12 माह से संचालनरत;
    - शेयरधारिता संबंधी मानदण्ड:
    - ✓ *प्रबंधन नियंत्रण के साथ एससी उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% हितधारिता वाली कंपनियां अथवा;*
    - ✓ *एक ऐसी नई कंपनी जो ठोस व्यवसाय मॉडल के उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा करने वाली सफल बिजनेस इकाई हो।*
  - **कंपनी में निवेश का आकार:** 0.20 करोड़ रुपए से 15.00 करोड़ रुपए तक। कुल मिलाकर आर्थिक सहायता कंपनी के कुल वर्तमान कारोबार से दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - **वित्तीय सहायता**
    - 5 करोड़ रुपए तक - परियोजना लागत का 75% तक
    - 5 करोड़ रुपए से अधिक - परियोजना लागत का 50% तक
    - सरकारी सब्सिडी के मामले में: संप्रर्वतक को परियोजना लागत का कम से कम 15% योगदान करना होगा।

  - **रिटर्न:** प्रति वर्ष 8% (महिला/दिव्यांग बीसी उद्यमियों के लिए 7.75%)

कंपनी में निवेश की अवधि: 36 माह तक के ऋण अधिस्थगन काल सहित 10 वर्ष तक की अवधि।

गत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत मंजूर तथा वितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

बिजनेस उद्यमों तथा स्टार्ट-अप्स की सुविधा हेतु भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों (उच्चतर शिक्षा विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्यागिकी विभाग, लघु उद्योग मंत्रालय), आईआईटी, सरकारी तथा प्राइवेट उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से नवाचारी विचार की स्थापना की है। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा नवाचारी विचार की स्थापना जारी रहेगी।

एससी तथा बीसी के मध्य उद्यमिता तथा नवाचार विचार को बढ़ावा देने और इन स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के साथ-साथ, इन स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

- इन निधियों के बारे में एससी/बीसी उद्यमियों को जानकारी देने के लिए विज्ञापनों तथा विभिन्न सम्मेलनों/बैठकों तथा वेबीनारों के जरिए मीडिया प्रचार के माध्यम से नियमित प्रयास किए जाते हैं। जागरूकता में सुधार करने के प्रयास जारी रहेंगे।
- उन एससी उद्यमियों, जो अपनी उद्यमिता के प्रारंभिक चरण में हैं, के साथ-साथ अनुभवी उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मेंटरशिप पोर्टल नामतः www.aye-mentor.in चलाया जा रहा है। आई-मेंटर भारत में अगली पीढ़ी का 1:1 मेंटरिंग प्लेटफार्म है जो प्रख्यात मेंटरों और एससी समुदाय के मेंटरों, जिन्हें व्यापार के विभिन्न पहलुओं में मेंटरिंग और वीसीएफ-एससी और एएसआईआईएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने की आवश्यकता है, को एक साथ लाता है।
- 14 अप्रैल, 2022 को आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नामत: एवाईई-लीग आयोजित किया गया था, जिसके लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से वीसीएफ-एससी तथा एएसआईआईएम स्कीमों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता उत्पन्न की गई थी, जिससे संभावी मामलों के लिए पाइपलाइन तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई। जागरूकता पैदा करने के लिए इन वार्षिक कार्यक्रम को निरंतर आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नामितियों के साथ छानबीन समिति की बैठकें सामान्यतया माह में एक/दो बार तथा निवेश समिति के बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है।
- एससी के लिए स्कीमों के संयुक्त प्रोत्साहन हेतु 31 दिसंबर, 2022 को आईएफसीआई वेंचर तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड (एससी-एसटी हब) के माध्यम से एमओयू तैयार किया गया है।
- कॉल/वेबेक्स तथा समर्पित ई-मेल (funds@ifciventure.com) के माध्यम से उद्यमियों को प्रत्येक अनुप्रयुक्त मामले के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- शिकायत निवारण नीति तथा पोर्टल मौजूद हैं।
- अब संशोधित स्कीम दिशा-निर्देशों के कारण वित्तीय सहायता का 20% तक प्रारंभिक कार्यकारी पूंजीगत निधियन भी प्रदान किया जाता है।
- नए प्रस्तुत किए गए पुनर्गठन दिशा-निर्देश पुनर्भुगतान अवधि तथा अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी को बढ़ाकर कठिनाई में फंसे बिजनेस को सहायता प्रदान करेंगे।
- मंजूरी से पहले समुचित कानूनी कार्रवाई को पूरा करना आवश्यक है। वितरण से पहले दस्तावेजीकरण पूरा करना आवश्यक है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की स्थापना की है। एनएसटीएफडीसी अपनी कार्यान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से कोई भी आय सृजन कार्यकलाप/स्व-रोजगार करने के लिए अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों को रियायती ऋण उपलब्ध कराता है। एनएसटीएफडीसी की उद्यमशीलता-उन्मुखी स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- **सावधि ऋण स्कीम:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यावहारिक परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा शेष का वहन सब्सिडी/संप्रर्वतक अंश योगदान/मुनाफा राशि से किया जाता है।

- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास की विशिष्ट स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत, एनएसटीएफडीसी 2.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए 90% तक ऋण प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष 4% की उच्च रियायती ब्याज दर के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **स्व-सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण स्कीम (एमसीएफ):** यह स्व-सहायता समूहों के एसटी सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने की विशिष्ट स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत निगम प्रति सदस्य 50,000/- रुपए तक तथा प्रति स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करता है।
- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई):** यह शिक्षा ऋण स्कीम है, जो एसटी छात्रों को भारत में पीएचडी सहित तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, निगम 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रति पात्र परिवार को 10.00 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **एसटी उद्यमियों के लिए मुनाफा राशि सहायता स्कीम:** भारत सरकार की स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए दिसंबर 2020 में "एसटी उद्यमियों के लिए मुनाफा राशि सहायता स्कीम" नामक अलग स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत पात्र एसटी उद्यमियों को स्टार्ट-अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत कुल परियोजना लागत के 15% तक के लिए एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने की अनुमति है।

एनएसटीएफडीसी द्वारा वितरित राज्य-वार ऋण **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, छोटे-छोटे जंगली उत्पाद संग्राहकों की आय में वृद्धि के लिए जनजातीय उत्पादों तथा छोटे-छोटे जंगली उत्पादों (एमएफपी) के अतिरिक्त मूल्य तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए टीआरआईएफईडी (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड) के माध्यम से वन धन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। टीआरआईएफईडी से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 3225 वन धन विकास केन्द्र क्लस्टर (वीडी-वेकेसी) मंजूर किए गए हैं, जिनसे 9.63 लाख जनजातीय एमएफपी संग्राहक लाभान्वित हुए हैं। इन वन धन विकास केन्द्र (वीडीवीके) क्लस्टरों के माध्यम से हुई बिक्री तथा लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने अधीनस्थ संगठन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) के माध्यम से जनजातियों के प्रोत्साहन तथा विकास हेतु "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत सहायता" नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत बाजार विकास के अन्य कार्यकलापों के अलावा टीआरआईएफईडी खुदरा विपणन कार्यकलापों में भी शामिल है, जिनमें विभिन्न राज्यों में स्थित इसके पैनलबद्ध जनजातीय सप्लायर से विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद तथा देश भर के जनजातीय भारत शोरूम के खुदरा नेटवर्क तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से इनका विपणन शामिल है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय शोध संस्थानों को सहायता" तथा "जनजातीय उत्सव, शोध सूचना तथा जन शिक्षा" स्कीमों के अंतर्गत जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर शोध कार्य करने के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान/प्रख्यात शोध संस्थानों को निधियां भी प्रदान करता है। कई राज्य जनजातीय शोध संस्थान "टीआईआई को सहायता" स्कीम के अंतर्गत अपने राज्य में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

अनुबंध I

राज्य सभा में दिनांक 29.03.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3319 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

इन स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों में मंजूर तथा वितरित निधियों का राज्य-वार विवरण। (वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2023 तक) नीचे दिया गया है:

- **वीसीएफ-एससी:**

  - **समग्र निधि के लिए जारी की गई निधियां:**

वित्तीय वर्ष	वीसीएफ-एससी में एमओएसजेई, भारत सरकार का योगदान
2020-21	30.00
2021-22	70.00
2022-23	35.00

  - **राज्य-वार मंजूर निधियां:**

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1.92	1	0.00		11.16	2
असम						
बिहार						
छत्तीसगढ					2.80	1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली						
गुजरात						
हरियाणा			0.00		0.77	1
हिमाचल प्रदेश	3.54	1				
झारखंड					4.92	1
कर्नाटक	1.44	1	4.47	1	2.06	1
मध्य प्रदेश			1.26	1		
महाराष्ट्र	7.23	2	5.79	3	14.60	3
पांडिचेरी						
पंजाब						
राजस्थान	3.14	1				
तमिलनाडु	19.96	5				
तेलंगाना	0.00				13.89	1
उत्तर प्रदेश						
उत्तराखंड						
पश्चिम बंगाल			4.00	1		
कुल योग	**37.22**	**11**	**15.52**	**6**	**50.20**	**10**

➢ **राज्य-वार वितरित निधियां:**

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	0.40		1.10			
असम						
बिहार	3.24	1	0.39			
छत्तीसगढ						
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली						
गुजरात	3.43					
हरियाणा			0.35			
हिमाचल प्रदेश			2.52	1	0.92	
कर्नाटक			0.42	1	3.27	1
मध्य प्रदेश			0.66	1	0.40	
महाराष्ट्र	9.52	2	6.42	1	5.65	
पांडिचेरी						
पंजाब	0.07					
राजस्थान			2.10	1	1.04	
तमिलनाडु	5.91	2	2.13		6.93	3
तेलंगाना	0.14		0.13		12.96	1
उत्तर प्रदेश						
उत्तराखंड			1.48	1	0.24	
पश्चिम बंगाल	3.01	1	4.89	2	0.80	
कुल योग	**25.73**	**6**	**22.58**	**8**	**32.21**	**5**

- **वीसीएफ-एससी के अंतर्गत एएसआईआईएम:**

➢ **राज्य-वार मंजूर निधियां**

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या
असम					0.60	2
छत्तीसगढ			0.30	1		
दिल्ली					0.30	1
गुजरात	0.30	1	0.90	3		
हरियाणा					0.30	1
हिमाचल प्रदेश			0.30	1		
कर्नाटक			0.30	1	0.60	2
केरल	0.30	1				
महाराष्ट्र	0.60	2	1.50	5	4.95	17
ओडिशा	0.90	3	0.90	3	0.60	2
राजस्थान	0.30	1			0.90	3
तमिलनाडु	0.60	2	0.60	2	0.60	2
उत्तर प्रदेश			0.60	2	1.20	4

पश्चिम बंगाल			0.30	1		
तेलंगाना					0.30	1
उत्तराखंड					0.30	1
कुल योग	**3.00**	**10**	**5.70**	**19**	**10.65**	**36**

➢ **राज्य-वार वितरित निधियां**

राज्य	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	**मंजूर कंपनियों की संख्या**	**मंजूर राशि (करोड़ रुपए)**	**मंजूर कंपनियों की संख्या**	**मंजूर राशि (करोड़ रुपए)**	**मंजूर कंपनियों की संख्या**
असम					0.11	2
छत्तीसगढ			0.17	1		
दिल्ली					0.05	1
गुजरात	0.15	1	0.10	1		
हरियाणा					0.05	1
हिमाचल प्रदेश			0.10	1		
कर्नाटक					0.18	3
केरल			0.10	1		
महाराष्ट्र	0.20	1	0.35	4	0.81	13
ओडिशा	0.20	2	0.26	4		
राजस्थान					0.11	2
तमिलनाडु			0.51	3	0.10	2
उत्तर प्रदेश					0.15	3
कुल योग	**0.55**	**4**	**1.59**	**15**	**1.56**	**27**

- **वीसीएफ-बीसी:**

➢ **समग्र निधि के लिए जारी की गई निधियां:**

वित्तीय वर्ष	**वीसीएफ-बीसी में एमओएसजेई, भारत सरकार का योगदान**
2020-21	1.84
2021-22	23.79
2022-23	-

➢ **राज्य-वार मंजूर निधियां**

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	9.75	2				
असम	0.50	1				
बिहार			1.00	1		
हिमाचल प्रदेश					4.76	1
केरल	2.30	1	5.00	1		
मध्य प्रदेश						
महाराष्ट्र	1.00	1				
राजस्थान						
तमिलनाडु	5.00	1				
उत्तर प्रदेश	6.00	2	5.99	3	0.89	
कुल	**24.55**	**8**	**11.99**	**5**	**5.65**	**1**

➢ **राज्य-वार वितरित निधियां**

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर कंपनियों की संख्या
केरल					2.95	1
मध्य प्रदेश			2.01	1		
महाराष्ट्र	0.91	1	0.57	1		
तमिलनाडु						
उत्तर प्रदेश			2.82	3		
कुल योग	**0.91**	**1**	**5.40**	**5**	**2.95**	**1**

अनुबंध- II

राज्य सभा में दिनांक 29.03.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3319 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वीडीवीके कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं	राज्य का नाम	वीडीवीके की कुल संख्या	लाभार्थियों/वन संग्राहकों की कुल संख्या	मंजूर (लाख रुपए में)	जारी राशि (लाख रुपए में)	सर्वेक्षण	वीडीवीके द्वारा पूरा किया गया प्रशिक्षण	संचालनरत वीडीवीके की संख्या	बिक्री की कुल राशि (लाख रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9	3604	402	198	143	134.24
2	अरुणाचल प्रदेश	85	25500	1275	637	16		0	0
3	असम	302	92119	4530	2640	150	128	128	202.8
4	छत्तीसगढ	139	41700	2085	2085	111	139	70	753.04
5	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	302	15	15			0	0.4
6	गोवा	10	3000	150	82.5	1	0	1	27
7	गुजरात	116	34424	1721.2	1721.2	116	2	3	0
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5	41.8		0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457	1457		0	0	0
10	लद्दाख	10	3000	150	150	5	0	0	0
11	झारखंड	39	11601	569.7	569.7	39	39	16	20.43
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4	1186.2	14	28	25	7.25
13	केरल	44	12038	597.25	396.125	26	8	16	2.5
14	मध्य प्रदेश	107	32160	1605	1447.5	107	86	62	13.52
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960	2460	156	0	32	107.35
16	मणिपुर	200	60403	2996.8	2075.975	167	139	139	278.12
17	मेघालय	39	11835	584.1	584.1	9		6	0.16
18	मिजोरम	159	46168	2306.55	1444.05	115	44	74	132.79
19	नागालैंड	206	61798	3089.9	2129.9	92	70	110	135.01
20	ओडिशा	170	50094	2479.25	2374.25	115	46	51	348.14
21	राजस्थान	479	144803	7135.6	3753.2	246	19	11	57.28
22	सिक्किम	80	23801	1169.05	1169.05	43	0	7	6.82
23	तमिलनाडु	8	2400	120	112.5	7	7	1	64.35
24	तेलंगाना	17	5100	255	255		17	0	0
25	त्रिपुरा	32	8893	436.95	331.55	19	15	21	7.19
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55	209.55	8	12	5	4.9
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95	127.45	10	11	0	1.07
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35	329.35	22	0	0	0
		3225	**963958**	**47863**	**33388.95**	**1996**	**1008**	**921**	**2304.36**

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 29.03.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3319 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएसटीएफडीसी की स्कीमों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वितरित निधियां और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22	
		वितरण	लाभार्थियों की संख्या	वितरण	लाभार्थियों की संख्या	वितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1285.03	276	5022.24	12533	1127.19	2006
2	अंडमान और निकोबार	245.00	7501				
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	970.52	435	814.01	8143
4	असम	58.20	167	5.00	2		
5	बिहार					11.48	955
6	छतीसगढ	932.16	3787	197.49	236	1398.99	1107
7	गुजरात	394.75	98	1442.03	8230	2022.50	11053
8	हिमाचल प्रदेश	40.83	75	13.40	2	14.00	2
9	जम्मू और कश्मीर	446.25	135	408.75	175	1362.87	410
10	झारखंड	633.17	3767	1001.60	10752	1422.00	15523
11	कर्नाटक	47.38	1911	3109.08	3014	1369.31	962
12	केरल	128.31	89	298.76	192	637.30	436
13	मध्य प्रदेश	4176.26	13282	3360.10	5685	2755.00	2373
14	महाराष्ट्र	1167.56	687	37.27	822	209.06	7408
15	मणिपुर			62.37	65		
16	मेघालय	1745.18	1412	4485.43	35016	694.81	1883
17	मिजोरम	6459.22	4670	3324.18	1399	5450.68	16278
18	नागालैंड	2413.22	51918	1098.72	48240	693.36	48257
19	ओडिशा	2298.15	11230	1794.44	22231	2457.92	30026
20	राजस्थान	2311.39	3993	2205.16	2664	508.60	588
21	सिक्किम	253.30	100	82.11	21	62.56	16
22	तमिलनाडु	28.50	2775	12.50	1609	15.00	1609
23	तेलंगाना	2740.07	8661	5359.23	13065	3111.55	9355
24	त्रिपुरा	71.41	24	2216.28	1056	580.26	2196
25	उत्तर प्रदेश			1.55	4		
26	उत्तराखंड	102.37	23	6.15	2		
27	पश्चिम बंगाल	558.86	4250	275.64	2089	573.92	4515
	कुल	**28536.57**	**1,20,831**	**36790.00**	**1,69,539**	**27292.37**	**1,65,101**

******